न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी श्रीमति संजू मीणा)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./54/2020

1. श्री गोपाल पुत्र श्री नाथा उर्फ नाथू जाति भाट निवासी खेडी तहसील भिनाय जिला अजमेर (राजस्थान)

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री मिश्रीलाल पुत्र श्री हजारी जाति कुम्हार निवासी खेडी तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. श्री सीताराम पुत्र छगना जाति भाट निवासी खेडी तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. श्री सुरेश पुत्र श्री किशना जाति रावत निवासी खेडी तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. श्री मुकेश पुत्र श्री किशना जाति रावत निवासी खेडी तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. श्री रामदेव पुत्र हरजी जाति रावत निवासी खेडी तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. श्री नाथू पुत्र श्री घीसा जाति रावत निवासी खेडी तहसील भिनाय जिला अजमेर
7. श्री प्रभु पुत्र श्री लादू जाति भाट निवासी खेडी तहसील भिनाय जिला अजमेर
8. श्री रामदयाल पुत्र श्री लादू जाति भाट निवासी खेडी तहसील भिनाय जिला अजमेर
9. श्री शिवराज पुत्र श्री हजारी जाति भाट निवासी खेडी तहसील भिनाय जिला अजमेर
10. श्री पार्वती देवी पत्नि श्री लाडू जाति भाट निवासी खेडी तहसील भिनाय जिला अजमेर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

(अप्रार्थीगण)

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

उपस्थितः–
1. वकील प्रार्थीया श्री धर्मवीर बामनिया
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 27.08.2021

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा खेडी पटवार क्षेत्र खेडी, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र छछून्दरा के खाता सं. 84 में दर्ज खसरा नं. 1000 रकबा 0.09, 1002 रकबा 0.07, 1003 रकबा 0.06, 1004 रकबा 0.07, 1007 रकबा 0.12, 1008 रकबाअ 0.16, 1014 रकबा 0.11, 1016 रकबा 0.10, 763 रकबा 0.07, 770 रकबा 0.11, 772 रकबा 0.03, 776 रकबा 0.13, 780 रकबा 0.13, 982 रकबा 0.50, 984 रकबा 0.18 किता–15 रकबा 1.93है0 एवं खाता सं. 88 में दर्ज खसरा नं. 1011 रकबा 0.58 है0 जो कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 10 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 11 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थीया को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने पर कहने के कारण प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 10 नोटिस तामिली बावजूद उपस्थित न होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र में जवाब न देते हुए सीधे बहस किये जाने हेतु कथन किए गए। दौराने बहस प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Scanned with CamScanner

किये जाने का निवेदन किया। पैरोंकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीया की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा खेडी पटवार क्षेत्र खेडी, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र छछून्दरा के खाता सं. 84 में दर्ज खसरा नं. 1000 रकबा 0.09, 1002 रकबा 0.07, 1003 रकबा 0.06, 1004 रकबा 0.07, 1007 रकबा 0.12, 1008 रकबाअ 0.16, 1014 रकबा 0.11, 1016 रकबा 0.10, 763 रकबा 0.07, 770 रकबा 0.11, 772 रकबा 0.03, 776 रकबा 0.13, 780 रकबा 0.13, 982 रकबा 0.50, 984 रकबा 0.18 किता–15 रकबा 1.93है0 एवं खाता सं. 88 में दर्ज खसरा नं. 1011 रकबा 0.58 है0 प्रार्थी की खातेदारी होने से भू. अभिलेख निरीक्षक छछून्दरा को 1500/– रूपये (अक्षरे एक हजार पांच सौ रू0 मात्र) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जावेगी। भू.अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडौसी एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथी बाबत सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। बाद तामिल तकमील होकर दाखिल दफ्तर पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(संजू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय
भिनाय (अजमेर) राज

Scanned with CamScanner